

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 454] No. 454] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2006/भाद्र 30, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2006/BHADRA 30, 1928

# पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	.3
" 64	बीज निरीक्षक (एस)	बीज अधिनियम, 1966 की धारा 13 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की धारा 12''

[फा. सं. 10/40/2003-सी एस]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: -प्रधान नियम भारत के राजपंत्र में संख्या का.आ. 84(अ), तारीख 16-2-1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 62(अ), तारीख 18-1-1988 और का.आ. 623(अ), तारीख 8-9-1996, का.आ. 728(अ), तारीख 10-7-2002 द्वारा संशोधित की गई थी।

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2006

G.S.R. 584(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 83 (E), dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16th February, 1987 namely:—

2981 GI/2006 (1)

In the said notification, in the Table, after serial number 63 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *inserted*, namely:—

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under	
1	2	3	
"64	Seed Inspector(s)	Section 13 of the Seeds Act, 1966 and Section 12 of the Order, 1983"	he Seeds (Control)

[F. No. 10/40/2003-CS]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Footnote:—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* S.O. 84(E), dated 16-2-1987 and subsequently amended *vide* S.O. 62(E) dated 18-01-1988, S.O. 623(E) dated 8-9-1996, S.O. 728 (E) dated 10-7-2002.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 585(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्या 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

 क्रम सं. अधिकारी/अभिकरण		निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
 "64	बीज निरीक्षक (एस)	बीज अधिनियम, 1966 की धारा 13 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की धारा 12''

[फा. सं. 10/40/2003-सी एस]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—प्रधान नियम भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 84(अ), तारीख 16-2-1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना सं. का.आ. 62(अ), तारीख 18-1-1988 और का.आ. 623(अ), तारीख 8-9-1996, का.आ. 728(अ), तारीख 10-7-2002 द्वारा संशोधित की गई थी।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2006

G.S.R. 585(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 83 (E), dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16th February, 1987 namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 63 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be *inserted*, namely:—

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under	
1	2	3	
"64	Seed Inspector(s)	Section 13 of the Seeds Act, 1966 and Section 12 of the Seeds (Control) Order, 1983"	

[F. No. 10/40/2003-CS]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Footnote:—The principal rules were published in the Gazette of India vide S.O.84(E), dated 16-2-1987 and subsequently amended vide S.O. 62(E) dated 18-01-1988, S.O. 623(E) dated 8-9-1996, S.O. 728 (E) dated 10-7-2002.

## अधिसूचना

## नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 586(अ).—पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 और 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए कॉलम (2) के नीचे विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं तथा केन्द्र सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत शिक्तयां प्रदान किए गए अधिकारी द्वारा विश्लेषण के लिए भेजे गए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की किस्मों के बीज के नमूनों के विश्लेषण के लिए उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक के तौर पर मान्यता प्रदान करती है तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 728(अ), दिनांक 21 जुलाई, 1987 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामश: :-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न में क्रम सं. 137 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं 138 तथा प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी, नामशः :-

			* 3
1	2	3	
133	बीज अधिनियम, 1966 की धारा 4 के	बीज अधिनियम, 1966 की धारा 12	के अन्तर्गत अधि-
	अंतर्गत अधिसूचित प्रयोगशालाएं	सूचित व्यक्ति ।	

[फा. सं. 10/40/2003-सी एस]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: -प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 728(अ) दिनांक 21 जुलाई, 1987 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई:-

का.आ. 838(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 1987, का.आ. 989(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 1987, का.आ. 156(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1989, का.आ. 489(अ), दिनांक 17 मई, 1989, का.आ. 846(अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 375(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 1990, का.आ. 633(अ), दिनांक 31 अगस्त, 1994, का.आ. 54(अ), दिनांक 15 जनवरी, 1997, का.आ. 305(अ), दिनांक 7 अप्रैल, 1997, का.आ. 173(अ), दिनांक 9 मार्च, 1998, का.आ. 1508, दिनांक 27 जुलाई, 1998, का.आ. 454, दिनांक 11 फरवरी, 2000, का.आ. 683, दिनांक 23 मार्च, 2001 तथा का.आ. 820(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2002, का.आ. 1257(अ), दिनांक 2 दिसम्बर, 2002, का.आ. 462(अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2003, का.आ. 598(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2004, का.आ. 1139(अ), दिनांक 15 अक्तूबर, 2004, का.आ. 774(अ), दिनांक 7 जून, 2005, का.आ. 834(अ), दिनांक 31–5–2006।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2006

G.S.R. 586(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby recognizes, the laboratories specified in column (2) of the Table below as environmental laboratories under the said Act and the rules made thereunder, and the persons specified in column (3) of the said Table to be the Government Analysts for the purposes of analysis of the seed samples of genetically modified crop varieties sent for analysis by the Central Government or the officer empowered under Section 11 of the said Act, and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 728(E) dated the 21st July, 1987, namely:—

In the Table appended to the said notification, after serial number 137 and the entries relating thereto, the following serial number 138 and entries shall be inserted namely:—

(1)	(2)	(3)
133	Laboratories notified under Section 4	Persons notified under Section 12 of the Seeds
	of the Seeds Act, 1966.	Act, 1966.

[F. No. 10/40/2003-CS]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 728(E), dated 21st July, 1987 and subsequently amended vide:—

S.O. 838(E), dated 23rd September, 1987, S.O. 989(E), dated 17th November, 1987, S.O. 156(E), dated 24th February, 1989, S.O. 489(E), dated 17th May, 1989, S.O. 846(E), dated 24th October, 1989, S.O. 375(E), dated 26th April, 1990, S.O. 633(E), dated 31st August, 1994, S.O. 54(E), dated 15th January, 1997, S.O. 305(E), dated 7th April,

1997, S.O. 173(E), dated 9th March, 1998, S.O. 1508, dated 27th July, 1998, S.O. 454, dated 11th February, 2000, S.O. 683, dated 23rd March, 2001 and S.O. 820(E), dated 2nd August, 2002, S.O. 1257(E), dated the 2nd December, 2002, S.O. 462(E), dated the 23rd April, 2003, S.O. 598(E), dated the 26th April, 2004, S.O. 1139(E), dated the 15th October, 2004 and S.O. 774(E), dated 7th June, 2005, S.O. 834(E), dated 31-5-2006.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 587( अ ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 16 अप्रैल, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 में एतद्द्वारा संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 12 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. एवं प्रविष्टि को शामिल किया जाएगा अर्थात् :

क्रम सं.	अधिकारी	कार्यक्षेत्र	
1	2	3	
"13	बीज निरीक्षक	बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के खण्ड 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा निर्धारित क्षेत्र''।	

[फा. सं. 10/40/2003 - सी एस]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: -प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र में का.आ. 394(अ), तारीख 16-4-1987 के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. 237(अ), दिनांक 29-3-1989, का.आ. 656(अ), दिनांक 21-8-1989 और का.आ. 624(अ), दिनांक 3 सितम्बर, 1996 के तहत संशोधित किया गया।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st September, 2006

G.S.R. 587(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 394 (E), dated the 16th April, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16th April, 1987 namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 12 and entries relating thereto, the following serial number and entry shall be *inserted*, namely:—

Serial No.	Officer	Jurisdiction
1	2	3
"13	Seed Inspector(s)	Area(s) as laid down by the Respective State Governments in the notification issued under clause 12 the Seeds Control Order, 1983"

[F. No. 10/40/2003-CS]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note: Principal Notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 394(E), dated 16-04-1987 and subsequently amended vide S.O. 237(E), dated 29-3-1989, S.O. 656(E), dated 21-8-1989 and S.O. 624(E) dated 3rd September, 1996.

#### अधिसचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 588(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1989 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 14 में निहित शक्तियों को बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 13 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचित बीज निरीक्षकों को विश्लेषण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के नमूने

लेने और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 10 एवं 11 के अंतर्गत उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए इस शर्त पर शक्तियां प्रदान करती है कि जब कभी भी इन शक्तियों को, केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार या जनहित में यह कभी आवश्यक हो तो, समाप्त किया जा सकता है।

[फा. सं. 10/40/2003-सी एस] देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1198(अ), दिनांक 12-11-1986 के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. 152(अ), दिनांक 10-2-1998, का.आ. 289(अ), दिनांक 14-4-1988, का.आ. 488(अ), दिनांक 17-5-1988, का.आ. 881(अ), दिनांक 22-9-1988, का.आ. 408(अ), दिनांक 6-6-1989, का.आ. 479(अ), दिनांक 25-7-1999, का.आ. 157(अ), दिनांक 27-2-1996, का.आ. 730(अ), दिनांक 10-7-2002 के तहत संशोधन किया गया था।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2006

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environmental (Protection) Act, 1986 (29 of 1989), the Central Government hereby delegates the power vested in it under Section 14 of the said Act to the Seed Inspectors, notified under Section 13 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) and Section 12 of the Seeds (Control) Order, 1983 to take samples of genetically modified crops for analysis and to regulate the quality thereon as conferred under Sections 10 and 11 of the Environmental (Protection) Act, 1986 subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[F. No. 10/40/2003-CS]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note:—Principal Notification published in the Gazette of India vide Notification No. GSR 1198 (E) dated 12-11-1986 and subsequently amended vide S.O. 152 (E) dated 10-2-1988, S.O. 289 (E) dated 14-4-1988, S.O. 488 (E) dated 17-5-1988, S.O. 881 (E), dated 22-9-1988, S.O. 408 (E) dated 6-6-1989, S.O. 479 (E) dated 25-7-1999, S.O. 157 (E) dated 27-2-1996, S.O. 730 (E) dated 10-7-2002.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 589(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1989 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत उन्हें प्रदत शिक्तियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किसी कार्यवाहियों में उल्लिखित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में आनुवाशिक रूप से संशोधित फसलों की सूचना देने के अभिप्राय से हस्ताक्षरित दस्तावेज का उपयोग करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 12 के तहत यथा अधिसूचित बीज विश्लेषकों को इस शर्त पर प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार शिक्तयों के ऐसे प्रत्यायोजन को रद्द कर सकती है यदि केन्द्रीय सरकार के अनुसार जनहित में ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो।

[फा. सं. 10/40/2003-सी एस]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1198(अ), दिनांक 12-11-1986 के तहत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् का.आ. 152(अ), दिनांक 10-2-1988, का.आ. 289(अ), दिनांक 14-4-1988, का.आ. 488(अ), दिनांक 17-5-1988, का.आ. 881(अ), दिनांक 22-9-1988, का.आ. 408(अ), दिनांक 6-6-1989, का.आ. 479(अ), दिनांक 25-7-1999, का.आ. 157(अ), दिनांक 27-2-1996, का.आ. 730(अ), दिनांक 10-7-2002 के तहत संशोधन किया गया था।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2006

G.S.R. 589(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environmental (Protection) Act, 1986 (29 of 1989), the Central Government hereby delegates the power vested in it under Section 14 of the said Act to the Seed

Analysts, notified under Section 12 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) to use the signed document purporting to be reported of genetically modified crops as evidence of the facts stated therein in any proceedings conferred under the Environmental (Protection) Act, 1986 subject to the condition the Central Government may revoke such delegation of powers if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[F. No. 10/40/2003-CS]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note:—Principal Notification published in the Gazette of India *vide* Notification No. GSR 1198 (E) dated 12-11-1986 and subsequently amended *vide* S.O. 152 (E) dated 10-2-1988, S.O. 289 (E) dated 14-4-1988, S.O. 488 (E) dated 17-5-1988, S.O. 881 (E) dated 22-9-1988, S.O. 408 (E) dated 6-6-1989, S.O. 479 (E) dated 25-7-1999, S.O. 157 (E) dated 27-2-1996, S.O. 730 (E) dated 10-7-2002.